रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07042022-234944
CG-DL-W-07042022-234944

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 27— अप्रैल 2, 2022, शनिवार/ चैत्र 6—चैत्र 12, 1944
No. 12] NEW DELHI, MARCH 27—APRIL 2, 2022, SATURDAY/CHAITRA 6–CHAITRA 12, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2022

सा.का.नि. 41.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मंत्रिमंडल सचिवालय, विशेष सेवा ब्यूरो (आर्डनेंस) सेवा नियम, 1995, को जहां तक उनका संबंध क्षेत्र अधिकारी (आर्मरर) और उप क्षेत्र अधिकारी (आर्मरर) के पदों से है, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल में समूह 'क' और 'ख' (अयोधी) आर्डनेंस काडर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

सा.का.नि. 43.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (समूह 'घ' पद) नियम, 1992, को, जहां तक कि उसका संबंध पुस्तकालय अटेंडेंट के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में पुस्तकालय परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, पुस्तकालय परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ता, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय परिचर	01* (2022)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।	18 और 25* वर्ष के बीच। *पद को अखिल भारतीय	आवश्यक:

	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है|	समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (18000-56,900 रु.)		खुली प्रतियोगिता से भरने की दशा में 18 और 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2** :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स। टिप्पण :1 :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2.** :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती । **टिप्पण:-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थिति के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेंगी- (क) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900रु.) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है, और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा।
(12)	(13)
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे.— 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (महामारी), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक निदेशक (शल्य), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/26/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 21st March, 2022

G.S.R. 43.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu (Group 'D' posts) Recruitment Rules 1992, in so far as it relates to the post of Library Attendant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Attendant in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu Library Attendant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix. - The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Library Attendant.	1*(2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (Rs.18,000-56,900).	Not applicable.

Age- limit for direct recruits.	Educational qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25* years. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 and 27 years.	Essential: (i) 10th Standard pass from a recognised Board. (ii) Certificate course in	Not applicable	Two years

(Relaxable for Government servants up to age of forty years for general candidates and up to the age of forty-five in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government from time to time.) **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Ladakh. **Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Library Science from a recognised institute. **Note: 1.** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note: 2.** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case candidates belonging to scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection: the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
Direct recruitment. **Note:-** Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding-	Not applicable.

(a) analogous posts on regular basis in the Level 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman 2. Deputy Director (Epidemic), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member 3. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/26/2019-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2022

सा.का.नि. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक कि उनका सम्बन्ध प्रयोगशाला सहायक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, कनिष्ठ चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद है या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्।	05*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	अचयन।	18 और 25 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,	आवश्यक: 1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जिसमें विज्ञान एक विषय रहा हो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण । 2. चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा उत्तीर्ण सहित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्ष का अनुभव । 3. पाठ्यक्रम को सम्बंधित राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए । वांछनीय: चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक डिग्री।

					हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अदंमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियो के लिए विहित की गई है)। **टिप्पण 2** :- ऐसे पदों के सम्बन्ध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	**टिप्पण** 1:-अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण** 2:- अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-56900 रु.) में ऐसे प्रयोगशाला परिचर और पशु परिचर जिन्होंने उस श्रेणी में सोलह वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति

			के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. विभागध्यक्ष (प्रयोगशाला), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 3. किसी अन्य केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के क्षेत्र में कार्यालय से राजपत्रित अधिकारी – सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य। **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** (1) सहायक निदेशक (सूक्ष्मजीवविज्ञान) केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक (जीव रसायन विज्ञान) केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य (3) ज्येष्ठतम चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/33/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st March, 2022

G.S.R. 44—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Medical Laboratory Technologist in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Junior Medical Laboratory Technologist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Medical Laboratory Technologist.	05*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years.	Essential:	Not applicable.	Two years for direct recruits.

(Relaxable for departmental candidate upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In respect of posts, the appointment to which are made through the employment exchange the crucial date for determining the age-limit shall, in each case, be the last date up to which the employment exchange are asked to submit the names.	1. 12th class pass with Science subject from a recognised Board. 2. Diploma pass in Medical Laboratory Technology with one year experience from a recognised institute. 3. The course should be recognised by the concerned State Directorate of Medical Education. Desirable: Bachelor Degree in Medical Laboratory Science. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Lab Attendant and Animal Attendant in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900) with sixteen years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Chairman (2) Head of Department (Laboratory), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member (3) A Gazetted officer from another Central Government or State Government office in the area - Member (4) Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member. **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (1) Assistant Director (Microbiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman (2) Assistant Director (Bio-Chemistry), Central Leprosy Teaching and ResearchInstitute, Chengalpattu – Member; (3) Senior most Medical Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/33/2019-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2022

सा.का.नि. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उसका संबंध कलाकार के पद से है, उन बातों के सिवाए, अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में कलाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, कलाकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कलाकार	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200 - 92300/ रु.)	लागू नहीं होता	आयु 18 और 25 वर्ष के बीच। केन्द्रीय सरकार द्वारा पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके चालीस वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके पैंतालिस वर्ष तक की जा सकती है। **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैड़, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, तथा लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2** :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त कला तथा शिल्प विद्यालय से कला में डिप्लोमा। 3. डिवेलिंग तथा प्रिंटिंग जिसके अंतर्गत फोटोग्राफी की भी जानकारी है। **टिप्पण** 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:-** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

					कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति: (क) जो किसी केन्द्रीय सरकारी संस्था में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है और जिनके पास स्तंभ (7) में वर्णित अर्हता हो तथा उस फील्ड में दो वर्ष का अनुभव हो; या (ख) जो किसी केन्द्रीय सरकारी संस्था में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100रु) मे नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ 7 में वर्णित अर्हता हो तथा उस फील्ड में छह वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण-1** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-2** प्रतिनियुक्ति/ आमेलन पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष	लागू नहीं होता।

2. उप-निदेशक (महामारी), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक निदेशक, (शल्य) केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य ।	

[फा.सं . ए-12018/28/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd March, 2022

G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Artist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Artist in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Artist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Artist	01*(2022) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in pay matrix (Rs.29200-92300).	Not applicable
Age-limit for direct recruits.		Educational and other	Whether age and	Period of

	qualifications required for direct recruits.	educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	probation, if any.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years of age. Relaxable for Government Servants upto forty years in case of general candidates and up to the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government. **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age- limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	1. 12th class pass from a recognised Board. 2. Diploma in Arts from recognised school of arts and crafts. 3. Knowledge of Photography including developing and printing. **Note 1:** Qualifications can be relaxed at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruitment.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
Direct recruitment failing which by deputation.	**Deputation:** (a) Holding analogous posts in any Central Government institute on regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with the qualification mentioned in the column (7) and two year experience in the field; or (b) holding analogous posts in any Central Government institute on regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with the qualification mentioned in the column (7) and six year experience in the field.

	Note 1: Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation/absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute - Chairman 2. Deputy Director (Epid), Central Leprosy Teaching and Research Institute - Member 3. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute - Member 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/28/2019-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2022

सा.का.नि. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उसका सम्बन्ध उच्च श्रेणी लिपिक/लेखाकार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उच्च श्रेणी लिपिक	09 * (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु)	अचयन	आयु 18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी। (जहाँ भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती वहाँ आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त	1.किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य। 2. कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरुप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)।

					करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु) में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (19900-63200 रु) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात आठ वर्ष की सेवा की

			हो। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतय तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परार्मश किया जाएगा ।**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (महामारी विज्ञान), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक निदेशक (प्रयोगशाला), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान चेंगलपट्टु - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुंसधान संस्थान चेंगलपट्टु - सदस्य। **समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. उप महानिदेशक (कुष्ठ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (महामारी विज्ञान), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य 3. सहायक निदेशक (प्रयोगशाला), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और	लागू नहीं होता।

	अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य	
4.	प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य।	

[फा. सं ए-12018/12/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 24th March, 2022

G.S.R. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput, (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Upper Division Clerk/Accountant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Upper Division Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in pay matrix. - The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-Servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Upper Division Clerk.	9* (2022) *subject to variation dependant on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs.25500-81100/-).	Non-Selection.

Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for	Whether age and educational qualifications prescribed for	Period of probation, if any.

	direct recruits.	direct recruits will apply in the case of promotees.	
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission (SSC). (Where recruitment is not through Staff Selection Commission, crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.)	1. Degree of a recognised University or equivalent. 2. A typing speed of 35 Words Per Minute in English and 30 Words Per Minute in Hindi only on computer. (35 Words Per Minute and 30 Words Per Minute correspond to 10500 Key Depression Per Hour /9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depression for each word)	Not applicable.	Two years for direct recruits.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
By Promotion falling which by deputation and failing both by Direct Recruitment.	By Promotion:- Lower Division Clerk in the level 2 (Rs.19900-63200/-) in the pay matrix, with eight years' regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, there senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation:** Officers of the Central Government, State Government or Union Territories: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years service rendered after appointment to the post on regular basis in level 2 (Rs.19900-63200) or equivalent in the parent cadre or department. The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for

	appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.) The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman 2. Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Member 3. Assistant Director (Laboratory), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Member 4. Administrative Officer - Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Deputy Director General (Leprosy), Directorate General of Health Services - Chairman 2. Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Member 3. Assistant Director (Laboratory), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Member 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/12/2019-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2022

सा.का.नि. .47—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उसका संबंध स्वास्थ्य परिचायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में स्वास्थ्य परिचायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांरभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग अध्यापन और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, स्वास्थ्य परिचारक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्वास्थ्य परिचायक	02* (2022) *कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच*।	आवश्यक : 1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय

	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	अननुसचिवीय			*यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से पद पर नियुक्ति की जाती है तो आयु-सीमा 18 और 27 वर्ष के बीच की जाएगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप	से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता 2. स्वास्थ्य परिचायक (छह मास का पाठ्यक्रम) में डिप्लोमा उत्तीर्ण; या 3. सहायक नर्स सेविका या बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता में डिप्लोमा उत्तीर्ण (अठारह मास का पाठ्यक्रम); और 4. नर्सिंग परिषद् में स्वास्थ्य परिचायक के रुप में रजिस्ट्रीकृत हो; और 5. किसी योग्यताप्राप्त संगठन में स्वास्थ्य कार्यकर्ता या स्वास्थ्य परिचायक के रुप में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के

					और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारिख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वें श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं; (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रु.) या समतुल्य पद पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हैं। **टिप्पण 1** :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतय तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

			टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे - 1. निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु -अध्यक्ष 2. उपनिदेशक(मरक-विज्ञान), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु – सदस्य 3. सहायक निदेशक (शल्यक), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 4. उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार कार्यालय से एक राजपत्रित अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/17/2017-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 24th March, 2022

G.S.R. 47.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chengalpattu (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Health Visitor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Health Visitor in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Health Visitor (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Health Visitor.	02* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200 - 92300).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 25 years*. *In case appointment to the post is made through all India open Competition the age limit shall be between 18 and 27 years. (The upper age limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in case of general candidates and up to forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government) **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh,	Essential: 1. 12th class pass or equivalent qualification from a recognised Board or University 2. passed Diploma in Health Visitor (six month course); or 3. passed Diploma in Auxiliary Nurses Midwife or Multipurpose Health Worker (eighteen-month course); and 4. should be registered with Nursing Council as a Health Visitor; and 5. One year experience as Health Worker or Health Visitor in a reputed organisation. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years.

Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2**: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Note 2**: The Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Schedule Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment failing which by deputation.	Deputation: - Officers of the Central government holding, - (a)(i) analogous post on regular basis; or (ii) post in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent with five years of regular service in the grade; (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of: - 1. Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman 2. Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member	Not applicable.

3.	Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu	- Member	
4.	A Gazetted Officer from other Central Government/ State Government Office in the area	– Member.	

[F. No. A-12018/17/2017-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

सा.का.नि. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलेपुट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को जहां तक उनका संबंध प्लम्बर-सह-मैकेनिकल फिटर पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में प्लम्बर-सह-मैकेनिकल फिटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, प्लम्बर-सह-मैकेनिकल फिटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्लम्बर-सह-मैकेनिकल फिटर	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900 - 63200/ रु.)	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियो के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2** :- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 10वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। केन्द्रीय सरकार या तमिलनाडू सरकार के राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित फिटर ट्रैड परीक्षा पास की हो। सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1** :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** :- अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

					अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति:- (क) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2(19900-63200/-रु.) में सदृश पद धारण किए हुए हो के साथ स्तंभ (7) में उल्लिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हो। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (मरक विज्ञान), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक निदेशक, (प्रयोगशाला), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य	लागू नहीं होता।

4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु	- सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/31/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 28th March, 2022

G.S.R. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput, (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Plumber-cum-Mechanical Fitter except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Plumber-cum-Mechanical Fitter in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Plumber-cum-Mechanical Fitter (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Plumber-cum-Mechanical Fitter.	01*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years of age. Relaxable for Government servants upto the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions of orders issued by the Central Government. **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from the candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. **Note 2 :** If the post is to be filled up by Employment Exchange the crucial date for determination of age-limit, in each case, will be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	10th or equivalent examination pass from a recognised university or Board. Passed fitter trade examination conducted by National Council of Training in Vocational Trades or Industrial Training Institute of Central or Tamil Nadu Government. One year experience in the relevant field. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years.	Direct recruitment failing which by deputation.	Deputation: - Holding analogous posts in the level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix with the

		qualification and experience mentioned in column (7). **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age- limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman 2. Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member 3. Assistant Director (Laboratory), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member 4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/31/2019-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

सा.का.नि. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का (उच्च श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2001, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, आस्का, उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2022

सा.का.नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1980, को जहां तक उसका संबंध संगणक पद से है, को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'क' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'क' (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डाटा एंट्री ऑपरेटर श्रेणी 'क'	04* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500 - 81100/ रु.)	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालीस वर्ष की आयु तक सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप, या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(i)किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा विज्ञान शाखा जिसमें गणित एक विषय के रुप रहा हो उतीर्ण की हो। (ii) डाटा प्रविष्ट कार्य में कम से कम 8000 कुंजी दाब प्रति घंटे की गति हो। **टिप्पण 1.** :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो अभिलिखित किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2. :-** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

					टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण:-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी,- (क) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अर्हताएं और अनुभव रखते हो।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष 2. उप-निदेशक या सहायक निदेशक (महामारी विज्ञान), केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं ए-12018/44/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th March, 2022

G.S.R. 50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as it relates to the post of Computor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Entry Operator Grade 'A', Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Data Entry Operator Grade 'A' (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. -No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Data Entry Operator Grade 'A'.	04 *(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years for general candidates and up to the age of forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	(i)12th class pass in Science stream with Mathematics as a subject from a recognised Board. (ii) should possess a speed of not less than 8000 key depressions per hour for data entry work. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualifications regarding Experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of theopinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits.

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
Direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis form officers of the Central Government,- (a) holding analogous posts on regular basis in the level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100); and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Chairman (2) Deputy Director or Assistant Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member (3) Medical Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Member (4) Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/44/2019-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2022

सा.का.नि. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक कि उनका संबंध परा-चिकित्सा कार्यकर्ता के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, में परा-चिकित्सा कार्यकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठरोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, परा-चिकित्सा कार्यकर्ता (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
परा-चिकित्सा कार्यकर्ता	10* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है|	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रु.)	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच की आयु। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii)किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पाठ्यक्रम किया हो; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त राज्य नर्सिंग परिषद से सहायक नर्स सेविका का प्रमाणपत्र हो और किसी मान्यताप्राप्त राज्य नर्सिंग

					टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2**:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	परिषद में सहायक नर्स या सेविका के रुप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए;या (iv) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पाठ्यक्रम हो; या (v) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या इसके समतुल्य और भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा व्यावसयिक योजना के अधीन सहायक नर्स सेविका पाठ्यक्रम किया हो। वांछनीय: कुष्ठरोग के क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2**:- अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति :केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100) या समतुल्य में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अर्हताएं और अनुभव रखता हो। **टिप्पण 1:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे.— 1. उप-निदेशक (मरक विज्ञान) - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक (मरक विज्ञान) - सदस्य	लागू नहीं होता।

3.	सहायक निदेशक (सूक्ष्म जीव विज्ञान)	- सदस्य	
4.	प्रशासनिक अधिकारी	- सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/51/2019-कुष्ठ]

शोरन सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th March, 2022

G.S.R. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Paramedical Worker, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Para Medical Worker, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Para Medical Worker (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b)who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post.	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Para Medical Worker.	10 *(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 3 in the pay matrix (Rs.21700-69100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years for general candidates and up to the age of forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	(i) 12^{th} class pass from a recognised Board. (ii) Multipurpose Health Worker course from a recognised institute; or (iii) Certificate of Auxiliary Nurse Midwife from a recognised State Nursing Council and must have been registered as Auxiliary Nurse or Midwife with recognised State Nursing Council; or (iv) Female Multipurpose Health Worker Course from a recognised institute; or (v) Auxiliary Nurse Midwife course under 12^{th} class vocational scheme from recognised Board as per syllabus prescribed by the Central Board of Secondary Education or its equivalent and Indian Nursing Council. Desirable: Field Experience in leprosy for one year. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the	Not applicable	Two years

	requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment failing which by deputation.	Deputation: Officers under the Central Government. - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years regular service in the grade rendered after appointment to the post in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment on deputation/absorption shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : - (1) Deputy Director (Epidemiology) - Chairman (2) Assistant Director (Epidemiology) – Member (3) Assistant Director (Microbiology) - Member (4). Administrative Officer - Member.	Not applicable.

[F. No. A.12018/51/2019-Lep]

SHORAN SINGH, Under Secy.